उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या–911 /43–2–2005
लखनऊः दिनॉक 13 अक्टूबर, 2005

## कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन शासकीय अधिसूचना संख्या–856/43–2–2005–15/2(2)/2003टी0सी0–4, दिनॉक 14–9–2005 द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया जा चुका है । अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु संस्तुति देने हेतु अधिनियम की धारा–15(3) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल समिति का गठन निम्नवत करते है:–

| | |
|---|---|
| 1– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | ----मा0 अध्यक्ष |
| 2– मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश | ----मा0 सदस्य |
| 3– मा0 मंत्री नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश | ----मा0 सदस्य |

गिरिराज वर्मा,
प्रमुख सचिव ।

संख्या –911(1)/43–2–2005 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
2– मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ।
3– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन ।
5– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
6– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
10–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

( गिरिराज वर्मा )
प्रमुख सचिव ।